सं0-205/62-2-2015-2/3(10)/2014

प्रेषक,

भरत लाल राय,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 27 जनवरी,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग/चेकडैम के निर्माण हेतु सामान्य योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का जनपदवार फॉट संशोधित किये जाने के संबंध में। (जिला योजना)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-139/ल0सिं0/बजट-3/2014-15, दिनांक 15-01-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग चेकडैमों के निर्माण हेतु सामान्य योजना में प्राविधानित धनराशि `-3000.00 लाख के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से प्रथम चार माहों हेतु शासनादेश सं0-1094/62-2-2014-2/3(10)/2014, दिनांक 29-4-2014 द्वारा धनराशि `-1000.00 लाख तथा शासनादेश सं0-2170/62-2-2014-2/3(10)/2014, दिनांक 19-8-2014 द्वारा धनराशि `-500.00 लाख तथा शासनादेश सं0-3738/62-2-2014-2/3(10)/2014, दिनांक 24-12-2014 द्वारा धनराशि `-1500.00 लाख (रूपया पन्द्रह करोड मात्र) इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- शासनादेश दिनांक 24-12-2014 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के साथ संलग्न विवरण/जनपदवार फॉट की निम्नानुसार संशोधित करते हुए उक्त शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	वर्ष में बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	संशोधित बजट प्राविधान	प्राविधान अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1-	बुलन्दशहर	100	36.00	36.00	67.00	67.00
2-	बिजनौर	180	54.00	54.00	67.00	67.00
3-	मुरादाबाद	30.79	30.00	30.00	17.00	17.00
4-	फिरोजाबाद	300	300.00	300.00	268.00	268.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5-	**कानपुर**	260	14.00	14.00	15.00	15.00

4- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-लघु सिंचाई के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर रिचार्चिंग चेकडैमो का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहद निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
ह0/
(भरत लाल राय)
विशेष सचिव।

सं0-205(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित जिलाधिकारी।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।